संख्या-40/2018/1454/कनिप्र/26-3-2018-18(37)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 मे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-2052 स0क0/ विकास/ यू0सी0/ 2018-19 दिनांक 04 दिसम्बर,2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-12/2018/456/क0नि0प्र0/26-3-2018-18(37)/ 2018 दिनांक 28 मार्च, 2018 के परिप्रेक्ष्य में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद देवरिया के विकास खण्ड बैतालपुर तथा देसही देवरिया के ग्राम क्रमशः देवरिया, मकुन्दपुर एवं रामपुर श्रीपाल कुल 03 गांवों मे इण्टरलाकिंग, पक्की नाली के निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृत/अनुमोदित कुल लागत रू0 227.06 (रु. दो करोड़ सत्ताइस लाख छः हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू.1,77,06,000.00 (रु.एक करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार मात्र) को अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विवरणनुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

जनपद- देवरिया **(धनराशि लाख रुपये)**

विकास खण्ड का नाम	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे स्वीकृत धनराशि**	**आवंटित की जा रही धनराशि**
बैतालपुर	देवरिया	इण्टरलाकिंग, पक्की नाली का निर्माण कार्य।	80.68	20.00	60.68
	मकुन्दपुर	इण्टरलाकिंग, पक्की नाली का निर्माण कार्य।	90.91	20.00	70.91
देसही देवरिया	रामपुर श्रीपाल	इण्टरलाकिंग, पक्की नाली का निर्माण कार्य।	55.47	10.00	45.47
			277.06	50.00	177.06

(रु.एक करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) देवरिया को अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(3) कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(5) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की लागत मे सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि, योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सत्यापन हेतु गठित समिति के माध्यम से सदुपयोग प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-40/2018/ 1454 (1)/क.नि.प्र./26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी, देवरिया देवरिया।

3- कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ।

4- वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), देवरिया।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) लखनऊ।

7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।